

प्रेम प्रसंग व सम्पत्ति की लालच में गला रेत कर हत्या का प्रयास करने वाले वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में दिनांक 10/01/2021 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुसम्ही जंगल में एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया गया था। बुजुर्ग को इलाज हेतु BRD मेडिकल कालेज में भर्ती किया गया, स्वास्थ्य में सुधार होने के पश्चात पूछताछ से अपना नाम सुदामा पुत्र स्व० भुवाल निवासी गोपलापुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताये। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 0018/2021 धारा 307 भा०द०वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। जिसके अनावरण हेतु प्र०नि० खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 17/01/2021 को प्र०नि० खोराबार व उनकी टीम को मुखबिर से सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण टैम्पू से गोपलापुर चम्पारण होटल के पास खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर प्र०नि० खोराबार मय टीम व मुखबिर खास को साथ लेकर गोपलापुर चम्पारण होटल पहुंचे जहाँ पर अभियुक्तगण को घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम अर्जुन चौहान पुत्र स्व० रामसूरत चौहान निवासी बेतियाहाता, रूस्तमपुर ढाला, लोनिया टोला थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर तथा दुसरे ने अपना नाम अमित साहनी पुत्र लोरिक साहनी निवासी तुरा बाजार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर हा०मु० मिर्जापुर निकट दुर्गा मंदिर थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर तथा तीसरे महिला ने अपना नाम गुड़िया पत्नी कुँवर यादव निवासी गोपलापुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताया। अभियुक्तगण उपरोक्त से पीड़ित सुदामा पुत्र स्व० भुवाल उपरोक्त की गला रेत कर हत्या करने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो ज्ञात हुआ कि हत्या का प्रयास प्रेम प्रसंग व सम्पत्ति की लालच में किया गया है तथा हत्या के प्रयास में प्रयुक्त चाकू के सम्बन्ध में पूछताछ कर अभियुक्ता गुड़िया के घर से चाकू बरामद किया गया। उपरोक्त तीनों अभियुक्त मु०अ०सं० 0018/2021 धारा 307 भा०द०वि० में वांछित हैं। जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 09.05 बजे पुलिस हिरासत लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त टेम्पो को कब्जा पुलिस लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 0018/2021 धारा 307 भा०द०वि०

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अर्जुन चौहान पुत्र स्व० रामसूरत चौहान निवासी बेतियाहाता, रूस्तमपुर ढाला, लोनिया टोला थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. अमित साहनी पुत्र लोरिक साहनी निवासी तुरा बाजार थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर हा०मु० मिर्जापुर निकट दुर्गा मंदिर थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर
3. गुड़िया पत्नी कुँवर यादव निवासी गोपलापुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान:- दिनांक 17/01/2021 समय 09.05 बजे, गोपलापुर चम्पारण होटल

बरामदगी- 1. घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू **2.** घटना में प्रयुक्त एक अदद टेम्पू

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी / कर्म० का नाम व नियुक्ती स्थान

- 1 प्र०नि० श्री नासिर हुसैन थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 2 उ०नि० श्री बदरुद्दीन खाँ थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 3 उ०नि० श्री अश्वनी कुमार चौबे थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 4 हे०का० संजय कुमार सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
- 5 हे०का० मुद्रत शर्मा थाना खोराबार जनपद गोरखपुर